भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1632
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थिति

1632. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करने की प्रक्रिया में है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इसकी स्थिति क्या है; और
(ग) क्या संस्थागत मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफार्मों को सूचीबद्ध किया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : मध्यस्थता विधेयक, 2021 (विधेयक), 20.12.2021 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था, जो भारतीय मध्यस्थता परिषद् (एमसीआई) की स्थापना का उपबंध करता है । एमसीआई की स्थापना के लिए, सरकार के पास वर्तमान में कोई प्रक्रिया लंबित नहीं है । यह विधेयक संसद् द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ही प्रारंभ किया जा सकता है ।

(ग) : विधेयक के अनुसार, प्रस्तावित एमसीआई के कर्तव्यों और कृत्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मध्यस्थता सेवाओं को प्रदान करने के लिए मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को मान्यता देना भी शामिल है । एक बार स्थापित होने पर ऑन-लाइन मध्यस्थता आयोजित करने का तरीका भी एमसीआई द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

****